

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :- प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :-2021/34

पत्रावली का अध्ययन किया गया। क्योंकि उक्त रास्ता 10 से भी अधिक वर्षों से कायम है, मौके पर डायर सड़क भी निर्मित है। इसलिए राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,132 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है कि उक्त रकबा को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर दर्ज किया जाए। यह एहतियात बरती जाए कि रास्ता के तौर पर पर अंकित किया गया रकबा काश्तकार के खाते में दर्ज रहें

